चर्चा संख्या 1 ध्यानाकर्षण सूचना स्वीकृत संख्या20 में परिवर्तित

अल्प अवधि चर्चा संख्या 1 (ध्यानाकर्षण सूचना स्वीकृत संख्या 20 में परिवर्तित) के द्वारा श्री वरुण चौधरी विधायक, श्री बिशन लाल सैनी, विधायक एवं श्री मेवा सिंह, विधायक हाल की भारी बारिश के कारण प्रदेश में हुए नुकसान के बारे में इस महान सदन का ध्यान एक अति लोक हित के विषय की ओर दिलाना चाहते हैं कि अंबाला, पंचकूला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, फतेहाबाद, पानीपत, सोनीपत, सिरसा, फरीदाबाद, पलवल आदि जिलों में जलभराव होने से जान माल का बहुत नुकसान हुआ है। सरकार द्वारा मौसम विभाग की चेतावनियों को नजरअंदाज किया गया और समय से समुचित कदम नहीं उठाये गये। दादूपुर नलवी नहर बन्द होने तटबन्दी की मरम्मत समय से ना होने और जहां तटबंदी की आवश्यकता थी वहां तटबन्द ना बनाने निकास प्रणाली की सफाई न होने , अवध खनन, अवध निर्माण, नदियों से अनुमेय गहराई तक रेल न हटाने, राजमार्गो के उंचा उठाने और उसमें पुलियान न छोडने जैसी लापरवाहियों के कारण समस्या और बढ़ गई और बार बार जलभराव होता रहा। इस जल भराव के कारण कई लोगों की जाने गई, फसल खराब हुई, पशु का नुक्सान हुआ, घर क्षतिग्रस्त हुए, घरो में रखा सामान एवम अनाज खराब हुआ , जगह जगह पर रास्ते बह गए और व्यपारियों को भारी नुकसान हुआ है। प्रभावितों को खाने पीने के पानी , इलाज, पशुओं के चारे और आने जाने में बहुत परेशानियों का सामना करना पडा है। कई दिन बीत जाने के बाद भी कही कही खेतों एवं भवनों में जलभराव की स्थिति अब भी बनी हुई है और जिस कारण से माहामारी फैलने का डर बना हुआ है। प्रभावित असमंजस में है कि उनका नुकसान की भरपाई सरकार किस प्रकार से करगी क्योंकि एक और फार्म बांटे जा रहे हैं दूसरी और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से नुकसान की भरपाई की बात आ रही है। प्रदेश सरकार द्वारा हरियाणा को 2026 तक जलभराव मुक्त घोषित करने का लक्ष्य रखा गया है परंतु हाल की बारिश में सरकार के लक्ष्यपूर्ति पर सवाल खड़े कर दिये है। अतः सरकार सदन में इस विषय पर अपना वक्तव्य दे।

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 6

Shri Jagbir Singh Malik, MLA wants to draw the kind attention of this august House towards a matter of great public importance that like previous year this year also farmers are facing the wrath of wheather as heavy rains have caused loss of Kharif Crops in more then 12 District &more then thousand villages are effected in which there is loss of life, destruction of houses, livestock & fodder Crops due to that farmers are at the verge of Starvation. The farmers are demanding special Girdawari. In some villages Paddy Crops grown have been destroyed twice and the farmers wants immediate interim relief of compensation on 40000 per acres and to Siphon the accumulated water, 24 hours electricity supply and suspension of recovery process of bills, permanent solution of flood water etc. The member also stated that the previous year's compensation has also not been paid by government & Insurance Companies so far. The Hon'ble Member also suggested that in view of such condition, the government should frame a high level committee for permanent solution of flood water, water logging, problem and also upon negligency of irrigation department in clearing drains.

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 12

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 12 के द्वारा श्री बलराज कुन्डु विधायक ने भारी बारिश से जल भराव की समस्या का उचित समाधान करने बारे इस महान सदन का ध्यान एक अति लोक हित के विषय की ओर दिलाना चाहते हैं जैसा कि सभी को पता है पिछले दिनों हुई भारी बारिश से हरियाण में बाढ़ जैसे हालात पैदा हुए थे। जिसके कारण हरियाणा के किसानों की फसल बर्बाद हो गई थी। पूरे हरियाणा के अनेको जिलों मे किसान कई सालों से इस जलभराव की मार का शिकार हो रहे हैं इसी आपदा मंे मेरे विधानसभा क्षेत्र महम के भी कई गांव में जलभराव हुआ जो कि आज भी है। किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। यह जलभराव की समस्या कोई नई नहीं है। महम विधानसभा में पिछले 4 साल से जलभराव के कारण अनेकों गांव की फसल बर्बाद होती आ रही है जिसका आज तक कोई स्थाई समाधान नहीं हो पाया है न ही किसानों को उचित

मुआवजा दिया जाता है। जल भराव के कारण मेरे महम हल्के के गांव घिरोठी , लाखनमाजरा, खरेटी, बैंसी, निंदाणा, भराणा, अजायब, बहलबा, मोखरा, गिरावड, भगवतीपुर, सुंदरपुर, सेमाण, डाभ, बहुअकबरपुर, बडाली, मदीना, निडाणा है मेरी सरकार से मांग है कि उपरोक्त गांव व प्रदेश के अन्य जिलों के गांवों में जल भराव की समस्या का स्थाई समाधान किया जाये और स्पेशल गिरदावरी करवाकर मुआवजा दिया जाने पर सदन में चर्चा अति अनिवार्य हो ताकि प्रदेश के किसानों का इस प्रकार की आपदा से सुरक्षित किया जा सके।

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 14

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 14 के द्वारा श्री अभय सिंह चैटाला , विधायक ने जुलाई में आई भारी बारिश और बाढ के कारण प्रदेश के किसानों की फसलों व आम नागरिकों के जानमाल का भारी नुकसान बारे इस महान सदन का ध्यान एक अति लोक हित के विषय की ओर दिलाना चाहते हैं कि जुलाई मे आई भारी बारिश और बाढ के कारण प्रदेश के 3603 गांव बाढ की चपेट में आए जिससे प्रदेश के किसानों की फसलों व आम नागरिकों के जानमाल का भारी नुकसान हुआ है तथा लगभग 30 लोगों की मौत हो चुकी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार लगभग 13 लाख एकड़ से अधिक क्षेत्र में फसलों को नुकसान हुआ हैं। सैकडों मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं तथा अनेकों पशुओं की मौत हुई है। ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर लगभग 2 अगस्त तक प्रदेशभर से 67,735 किसानों ने आवेदन किए हैं जिन्होंने 3.72 लाख एकड़ से अधिक के लिए मुआवजे की मांग की है। सरकार ने भरपाई के लिए ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल तो खोल दिया परंतु किसानों को हुए नुकसान की भरपाई की समय सीमा निर्धारित नहीं की हैं। प्रदेश सरकार इतनी बड़ी तबाही की जिम्मेवारी से बच नहीं सकती क्योंकि सरकार ने बाढ़ से बचने के लिए समय पर कोई तैयारी नहीं की जिसके कारण प्रदेश के किसानों और आमजन को इतनी भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। इस गम्भीर स्थिति को लेकर प्रदेश के किसानों व आमजन में सरकार के प्रति गहरा रोष व्याप्त है। अतः सरकार इस सदन में अपना वक्तव्य दे।

स्थगन प्रस्ताव संख्या 2 ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 25 में परिवर्तित
ध्यानाकर्षण सूचना स्वीकृत संख्या 20 के साथ सलग्न

स्थगन/काम रोको प्रस्ताव संख्या 2 के द्वारा श्री ईश्वर सिंह विधायक श्री जगदीश नायर , विधायक, श्री लक्ष्मण नापा, विधायक, श्री शिशपाल सिंह, विधायक, श्री शमशेर सिंह गोगी, विधायक ने बाढ़ के कारण प्रदेश में उत्पन्न हालातों के बारे इस महान सदन का ध्यान एक अति लोक हित के विषय की ओर दिलाना चाहते है कि हरियाणा प्रदेश में हाल ही में बाढ से उत्पन्न हालातों की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि किस प्रकार बाढ़ के कारण हरियाणा प्रदेश के कई हल्का में असमान्य हालात हो गए है। जन जीवन अस्त -व्यस्त हो गया है। फसल, मकान, पशुधन, जान माल का व्यापक तोर पर नुकसान हुआ है। जिसकी तुरन्त क्षतिपूर्ति के साथ-साथ इस बाढ के कारण क्षतिग्रस्त हुई घग्गर नदी के दुरस्तीकरण पर सरकार द्वारा आवश्य कदम उठाए जाना अति अनिवार्य हो गया है। हरियाणा में घग्गर नदी हर साल उफान में आती है और फट जाती है। यह एक प्राकृतिक आपदा है। परन्तु केवल इस शब्द से निवारण नहीं हो सकता। करोड़ों रूपए हर साल हरियाणा सरकार का केवल घग्गर नदी की रोकथाम व इसके द्वारा नुकसान की भरपाई पर खर्च किया जाता है। परन्तु अभी तक भी इसका कोई स्थाई समाधान नहीं कर पाए। इस वर्ष भी घग्गर की बाढ ने तबाही माचाई , जान-माल का नुकसान हुआ। अनेकों घर पानी की चपेट में आ गए और बह गए। इस घग्गर नदी में पंचकूला के नजदीक झाजरा नदी व कोशल्या नदी आकर मिलती है फिर यह जिरकपुर डेराबसी से होते हुए अम्बाला में प्रवेश करती है। उसके बाद पटियाला की तरफ से मेरे हल्का के गांव सिहाली में आती है , मेरे हल्के के ही गांव मैगड़ा, डण्डोता के नजदीक इसकी सहायक नदिया मारकण्डा व टांगरी नदी इसमें मिल जाती है। गुहला क्षेत्र के ही गांव सरौला में मीरापुर डैªन इसमें शामिल हो जाती है। इसके बाद हरियाणा पंजाब बार्डर पर बसे हुए गांव रतनहेडी के पास पिछे से आ रही पटियाला नदी भी इसमे मिल जाती है। उसके उपरान्त यह हल्का गुहला के ही गांव उरलाना से होते हुए पंजाब की तरफ मुड जाती है और आगे जाते हुए हरियाणा के अन्य हल्कों की तरफ प्रवाहित हो जाती है। इस नदी के शुरू होने से और मेरे हल्का में प्रवेश होने तक अनेकों सहायक नदियां , खाले-नाले डैªन इसमें समाहित हो जाते है। जिस कारण सारे पानी का केन्द्र हल्का गुहला बन जाता है और यही

घग्गर की मार शुरू होती है। घग्गर नदी के उफान से गुहला चीका , रतिया फतेहाबाद, कालावली टोहाना, रानियंा, ऐलनाबाद इत्यादि हल्के प्रभावित होते है।

क- जी साईफिन हमारे इलाके में बनाए गए हैं , घग्गर नदी के खतरे के निशान से उपर आने का मुख्य कारण यही साईफिन है। क्योंकि यह साईफिन बहुत ही संकीर्ण, बिना किसी तकनीक और बिना किसी प्रयोग के बनाए गए है, इसके द्वारा पानी की निकासी पूरी तरह से एकदम नहीं हो सकती इसलिए इस साइंफिन का कुछ पिलर्स निकालकर इसको चैड़ा किया जाए।

ख- इस घरगर नदी को और अधिक गहरा किया जाए। ताकि भविष्य में बाढ की स्थिति से बचा जा सके।

ग- हर साल जहां से बांध टूटते हैं, उनके स्थाई रूप से पत्थर लगाकर बंद किया जाए। यह पानी पहाड़ो से होते हुए पंचकूला जिरकपूर , डेराबस्सी, मोहाली, राजपुरा, पटियाला से होते हुए गुहला चीका बार्डर पर इकठ्ठा हो जाता है और इसमें कई नदी , नाले, खाले, ड्रेन इसमें मिल जाते हैं। पानी के बहाव के कारण हर साल जहां से बांध टूटते हैं उनको स्थाई रूप से पत्थर लगाकर बन्द किया जाए। इसका स्थाई समाधान किया जाए और तुरंत प्रभाव से क्षतिग्रस्त इलाके के लागों को फसल , मकान, पशुधन व जान -माल का मुआवजा सरकार दंे।

Adjournment Motion No. 4 converted into Calling Attention Notice No. 27 Clubbed with admitted Calling Attention Notice No. 20

Shri. Indu Raj, MLA, Shri. Shishpal Singh, MLA, Shri. Jagbir Singh Malik, MLA Shri. Jaiveer Singh, MLA, Sh. Pardeep Chaudhary, MLA. ,Smt. Renu Bala, MLA, Smt. Geeta Bhukkal, MLA want to draw the attention of this august House towards a matter of an urgent Public importance that the recent heavy rains have left a trail of death and destruction in Haryana, with about 2.06 lakh hectares of agricultural land in 1465 villages having been submerged and many persons lost their lives. While the rain fury affected 12 districts – Panchkula, Ambala, Yamunanagar, Karnal, Kaithal, Kurukshetra, Panipat, Rohtak, Jhajjar, Fatehabad, Faridabad, Sonipat and Palwal – north Haryana was the worst – hit. It is alleged that the laxity of the Government to desilting rivers and drains had resulted in huge losses caused by the floods in the State. The huge impact of floods could have been minimized had the state Government undertaken the cleaning of riverbeds, drains and strengthened embankments and bunds before the monsoon season. The scrapping of major canal projects and rampant illegal mining in the State's rivers were the primary reasons for the recent floods in Haryana. The scrapping of Tajewala Raipur Rani and Dadupur Nalvi canal projects had let to large scale damaged to life and property in recent floods in three districts of the Shivalik region - Panchuka, Ambala and Yamunanagar. If the present Government had gone ahead with the construction of these canal projects the damage caused by the flood water could have been minimized as the rainwater could have been channelized properly. The rampant illegal mining in the State rivers including the Yamuna, the Ghaggar and Tangri let to the change in the course of these rivers, creating havoc in agricultural lands and residential areas. Illegal mining is being carried out under the protection of the Government. The agriculture has been completely ruined due to the floods and farmers and farm workers have been badly affected by the water logging and everyone now needs help from Government. They demand the Government to give compensation of Rs. 40,000/- per acre to the farmers who suffered crop damage. Due to water

logging, the water motor and pump-set installed in the fields have also been damaged. There is huge shortage of animal fodder since the floods and demanded to the Government to arrange for fodder. Along with this, compensation for the loss caused to houses, shops and business should also be done with immediate effect. The poor mainly labourers were particularly afflicted by the floods. The agriculture labourers of the village could not even get work this time. The Government should pay at least 30 days additional daily wages to MGNREGA workers. Along with giving relief to the public, the Government will have to work on a war-footing for draining out rainwater The State Government should demand a relief package from the Centre like the Congress Government of Himachal Pradesh. Due to water logging, there is an outbreak of diseases in flood affected areas, but the Government has not made any plans to prevent these. The BJP-JJP Government is deliberately delaying the compensation to the floods-affected residents. Once again the Government is shirking it s responsibility by citing the portal. People have already suffered a lot and they need help not portals. It is an urgent matter of public importance and we request the Hon'ble Speaker to allow a discussion in public interest.

STATEMENT OF SHRI DUSHYANT CHAUTALA, DEPUTY CHIEF MINISTER

Sir, the Government of Haryana is conscious of its responsibility to safeguard the interests of farmers and therefore takes advance steps to mitigate all risks faced by them. Whenever a natural calamity or any other disaster does strike, Government promptly assists them in responding to the events and proactively compensates them in accordance with policy.

It is a fact that heavy to extremely heavy rainfall was received in adjoining States and in most of the parts of Haryana for three consecutive days, viz., 8th, 9th and 10th July. The resultant floods threw the normal life out of gear in Haryana and caused unfortunate loss of lives, animals and extensive damage to properties and infrastructure. During 8th July to 12th July, State's cumulative rainfall was 110 mm against the normal rainfall of 28.4 mm which means 287% excess rainfall. Yamunanagar, Kurukshtera, Panchkula and Ambala received 842%, 814%, 699% and 514% excess rainfall, respectively. For the first time in the history of Haryana, the Government declared1469 villages and 4 MC areas in 12 districts as flood affected in the State.

The Government promptly took all necessary steps and precautions to prevent and to reduce the impact of the flood. 7,868 persons were evacuated,60 relief camps were organized, and 2,031 persons were shifted to relief camps. Food and other civil supplies arrangements were made for citizens in the marooned areas. Army, Airforce, NDRF and SDRF, Civil Society organisations and NGOs were roped into assist the district administrations in search, rescue and relief operations. On 11.07.2023 seven senior IAS Officers in the rank of Administrative Secretaries were appointed as In Charge of the flood affected districts to review and coordinate the ongoing efforts to minimize the impact of floods.

To ease the process of submission of claims for affected persons and families, for damage/loss in respect of their house, livestock, crops and commercial moveable property and to ensure transparency in damage verification and disbursement of compensation to the affected people through Direct Benefit Transfer (DBT) in a time bound manner, State Government launched a dedicated portal i.e. https://eskhatipurti.haryana.gov.in/. The portal is open till 25th August 2023 for public to upload their claims. Disbursement of compensation will be taken up immediately upon completion of the ongoing verification process as per the norms/instruction of the Haryana Government.

The total crop loss area uploaded at Eskhatipurti portal, by 1,35,541 farmers, in 4,475 villages of the State as on 22.08.2023 is 6,61,644 acres. 47 human lives have been lost. 333 claims against the animal loss have been reported in the portal and a total number of 5,380 houses are claimed to have been damaged due to flood besides the damage of 109 commercial units in the State.

An amount of Rs. 1,60,00,00/-(Rupees one crore sixty lacs only) (@ Rs.4.00 lakh per deceased) has been sanctioned to 40 bereaved families and Rs.1,36,00,000/- has been disbursed to 34 families. An amount of Rs. 10,01,63,792/- was immediately released to 10 districts for rescue operations. To expedite the restoration works and disbursement of compensation, the financial powers of Financial Commissioner were delegated to Administrative Secretaries and Deputy Commissioners in an unprecedented step.

The Energy Department provided relief in siphoning the accumulated water by providing 24hour power and arranged immediate electricity connections to Gram Panchayats and Irrigation & Water Resources Department (I&WRD) for their short term requirements for dewatering purposes. DISCOMS also provided temporary connections wherever required by I& WRD, Haryana and Gram Panchayats, without any charge.

The Department of Animal Husbandry constituted special teams in each district for the protection of animal health. Vaccination for diseases like Foot-and-Mouth Disease and Haemorrhagic Septicaemia in Cows and Buffaloes was carried out in May-June 2023. Additionally, vaccination was carried out in other animals also for prevention of contagious diseases. Instructions were given to stock up essential medicines and vaccines in Veterinary Institutions. During the floods, on July 15, 2023, supplementary guidelines were also issued by the department, vide which, advisory issued by the Government of India regarding safety and management of livestock during floods and the guidelines for the farmers, in a language that animal keepers could easily understand, regarding health and management of animals before, during, and after the floods were also circulated. Restrictions were imposed on the officer/ officials' leaves during the

floods with only essential cases being granted a maximum of 4 days leave. The arrangement of fodder for animals was done by the Local Administration/ Revenue and Disaster Management Department through HAFED and the Department of Animal Husbandry Department assisted in its distribution. To protect the Cattle from Lumpy Skin Disease, a mass vaccination campaign has been started in the state from August 21, 2023, wherein approx. 19 lakh cattle would be vaccinated.

The Department of Development and Panchayat has reported a loss of around Rs.44.30 Cr due to damage to rural infrastructure managed by it.

The Department of Urban Local Bodies had done desilting of 1,068.62 Km in various drains and rivers in the State before the recent floods. The ULBD is compensating the affected persons whose commercial and industrial properties have been damaged due to recent floods in the urban areas in the State, as per its policy. The policy provides for compensation of moveable properties upto 50 lakhs and upto Rs.25 lakhs for compensating the loss of commercial buildings.

The Irrigation and Water Resources Department got 323 Schemes approved at a cost of Rs.466.03 Cr in the 53rd Meeting of Haryana State Drought Relief and Flood Control Board (HSDRFCB) held on 24.01.2022, under the Chairmanship of Hon'ble CM, besides 168 Schemes at a cost of Rs.231.87 Cr carried forward. All the above 491 Schemes were taken up last year and out of them 279 have been completed. In the 54th meeting of HSDRFCB, held on 19.01.2023, 594 Schemes at a cost of Rs. 929.86 Cr were approved out of which 88 Schemes to the tune of Rs.191.49 Cr have already been completed.

The Irrigation and Water Resources Department is preparing a proposal to constitute a Departmental Technical Committee (DTC) on floods jointly chaired by all the EICs for technical examination of various drainage and flood control schemes submitted by the field officers so that there will be a clear understanding of the holistic problems of flood and drainages issues in the State.

The Irrigation and Water Resources Department had taken up the work of clearance of 657 drains out of 853 drains in the State before the onset of monsoon as a precautionary measure to prevent floods in the State.

The issue of Ghaggar River flooding has been under active discussion since last three decades. The Ghaggar Standing Committee (GSC) was constituted on 26.02.1990 with Member (RM, CWC) as a Chairman of the committee. The GSC constituted the team of experts comprising representatives from co-basin states and CWC for suggesting the remedial measures to mitigate the flooding problem in Ghaggar basin after visiting the vulnerable spots. The experts committee suggested various alternatives like provision of embankments on both banks, remodelling of cross-drainage works, possibility of construction of dams/reservoirs etc. However, during the 28th meeting of GSC, it was

decided to conduct purpose driven Mathematical model study for the entire basin for managing floods in River Ghaggar and the study was decided to be entrusted to CWPRS, Pune.

CWPRS Pune has given its final report on Mathematical Model Studies wherein Short Term and Long Term measures for flood mitigation in river Ghaggar were recommended. The main conclusions of the studies are as below:

(a) Short Term- Widening and deepening of river Ghaggar upto deepest existing level and construction of Embankments.

(b) Long Term- Construction of storage cum flood control reservoirs in the upstream catchments/ major tributaries so that the downstream reaches could be protected from flooding. Raising of road slab with no change in existing waterway.

Accordingly, a DPR amounting to Rs 94.07 crores was submitted to CWC on 14.07.2023 on which observations were raised by CWC which stand replied vide letter No 6134-40/972/98-XII/4BWS dt. 14.08.2023. The DPR is under examination/consideration of approval with CWC. After finalization/approval of Haryana DPR by CWC, further time bound action will be taken for its implementation to mitigate floods in river Ghaggar.

Regarding the matter of capacity of siphons, it is informed that 5 existing siphons in Ghaggar are of adequate capacity for smooth passage of flood water and further MMS report of CWPRS also envisages that no changes to the waterway of the structures are necessary. However, the capacity of these siphons will be reviewed in view of the unprecedented floods received during July, 2023. Since interstate issues are involved, the matter regarding revision of capacity as per feasibility will be put up before GSC for approval/further decision in the matter.

There is no illegal mining inside the river and for ensuring the same, inspection is being carried out regularly. Since the bed level of river Yamuna has been considerably lowered after the floods of 2010, no work of de-silting/cleaning of bed were required to be undertaken. The Government has identified certain points in various rivers of Haryana where there is urgent need of mining, due to which the free flow of water is being obstructed. There are around 74 sites in districts of Yamuna Nagar, Ambala, Panchkula, Karnal, Sirsa, Kurukshetra and Panipat where mining is required.

Regarding the drainage problem due to non construction of culverts, the Department has identified around 149 vulnerable points in various districts where there is a drainage problem due to non-provision of culverts by NHAI, PWD (B&R), HSAMB etc. The department has informed to concerned agencies to jointly visit with the field

officers of Irrigation and Water Resources Department for a road map to achieve the desired solution.

चर्चा संख्या 1 ध्यानाकर्षण सूचना स्वीकृत संख्या20 में परिवर्तित

अल्प अवधि चर्चा संख्या 1 (ध्यानाकर्षण सूचना स्वीकृत संख्या 20 में परिवर्तित) के द्वारा श्री वरुण चौधरी विधायक, श्री बिशन लाल सैनी, विधायक एवं श्री मेवा सिंह, विधायक हाल की भारी बारिश के कारण प्रदेश में हुए नुकसान के बारे में इस महान सदन का ध्यान एक अति लोक हित के विषय की ओर दिलाना चाहते हैं कि अंबाला, पंचकूला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, फतेहाबाद, पानीपत, सोनीपत, सिरसा, फरीदाबाद, पलवल आदि जिलों में जलभराव होने से जान माल का बहुत नुकसान हुआ है। सरकार द्वारा मौसम विभाग की चेतावनियों को नजरअंदाज किया गया और समय से समुचित कदम नहीं उठाये गये। दादूपुर नलवी नहर बन्द होने तटबन्दी की मरम्मत समय से ना होने और जहां तटबंदी की आवश्यकता थी वहां तटबन्द ना बनाने निकास प्रणाली की सफाई न होने , अवध खनन, अवध निर्माण, नदियों से अनुमेय गहराई तक रेल न हटाने, राजमार्गो के उंचा उठाने और उसमें पुलियान न छोडने जैसी लापरवाहियों के कारण समस्या और बढ़ गई और बार बार जलभराव होता रहा। इस जल भराव के कारण कई लोगों की जाने गई, फसल खराब हुई, पशु का नुक्सान हुआ, घर क्षतिग्रस्त हुए, घरो में रखा सामान एवम अनाज खराब हुआ , जगह जगह पर रास्ते बह गए और व्यपारियों को भारी नुकसान हुआ है। प्रभावितों को खाने पीने के पानी , इलाज, पशुओं के चारे और आने जाने में बहुत परेशानियों का सामना करना पडा है। कई दिन बीत जाने के बाद भी कही कही खेतों एवं भवनों में जलभराव की स्थिति अब भी बनी हुई है और जिस कारण से माहामारी फैलने का डर बना हुआ है। प्रभावित असमंजस में है कि उनका नुकसान की भरपाई सरकार किस प्रकार से करगी क्योंकि एक और फार्म बांटे जा रहे हैं दूसरी और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से नुकसान की भरपाई की बात आ रही है। प्रदेश सरकार द्वारा हरियाणा को 2026 तक जलभराव मुक्त घोषित करने का लक्ष्य रखा गया है परंतु हाल की बारिश में सरकार के लक्ष्यपूर्ति पर सवाल खड़े कर दिये है। अतः सरकार सदन में इस विषय पर अपना वक्तव्य दे।

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 6

Shri Jagbir Singh Malik, MLA wants to draw the kind attention of this august House towards a matter of great public importance that like previous year this year also farmers are facing the wrath of wheather as heavy rains have caused loss of Kharif Crops in more then 12 District &more then thousand villages are effected in which there is loss of life, destruction of houses, livestock & fodder Crops due to that farmers are at the verge of Starvation. The farmers are demanding special Girdawari. In some villages Paddy Crops grown have been destroyed twice and the farmers wants immediate interim relief of compensation on 40000 per acres and to Siphon the accumulated water, 24 hours electricity supply and suspension of recovery process of bills, permanent solution of flood water etc. The member also stated that the previous year's compensation has also not been paid by government & Insurance Companies so far. The Hon'ble Member also suggested that in view of such condition, the government should frame a high level committee for permanent solution of flood water, water logging, problem and also upon negligency of irrigation department in clearing drains.

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 12

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 12 के द्वारा श्री बलराज कुन्डु विधायक ने भारी बारिश से जल भराव की समस्या का उचित समाधान करने बारे इस महान सदन का ध्यान एक अति लोक हित के विषय की ओर दिलाना चाहते हैं जैसा कि सभी को पता है पिछले दिनों हुई भारी बारिश से हरियाण में बाढ़ जैसे हालात पैदा हुए थे। जिसके कारण हरियाणा के किसानों की फसल बर्बाद हो गई थी। पूरे हरियाणा के अनेको जिलों मे किसान कई सालों से इस जलभराव की मार का शिकार हो रहे हैं इसी आपदा मंे मेरे विधानसभा क्षेत्र महम के भी कई गांव में जलभराव हुआ जो कि आज भी है। किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। यह जलभराव की समस्या कोई नई नहीं है। महम विधानसभा में पिछले 4 साल से जलभराव के कारण अनेकों गांव की फसल बर्बाद होती आ रही है जिसका आज तक कोई स्थाई समाधान नहीं हो पाया है न ही किसानों को उचित

मुआवजा दिया जाता है। जल भराव के कारण मेरे महम हल्के के गांव घिरोठी , लाखनमाजरा, खरेटी, बैंसी, निंदाणा, भराणा, अजायब, बहलबा, मोखरा, गिरावड, भगवतीपुर, सुंदरपुर, सेमाण, डाभ, बहुअकबरपुर, बडाली, मदीना, निडाणा है मेरी सरकार से मांग है कि उपरोक्त गांव व प्रदेश के अन्य जिलों के गांवों में जल भराव की समस्या का स्थाई समाधान किया जाये और स्पेशल गिरदावरी करवाकर मुआवजा दिया जाने पर सदन में चर्चा अति अनिवार्य हो ताकि प्रदेश के किसानों का इस प्रकार की आपदा से सुरक्षित किया जा सके।

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 14

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 14 के द्वारा श्री अभय सिंह चैटाला , विधायक ने जुलाई में आई भारी बारिश और बाढ के कारण प्रदेश के किसानों की फसलों व आम नागरिकों के जानमाल का भारी नुकसान बारे इस महान सदन का ध्यान एक अति लोक हित के विषय की ओर दिलाना चाहते हैं कि जुलाई मे आई भारी बारिश और बाढ के कारण प्रदेश के 3603 गांव बाढ की चपेट में आए जिससे प्रदेश के किसानों की फसलों व आम नागरिकों के जानमाल का भारी नुकसान हुआ है तथा लगभग 30 लोगों की मौत हो चुकी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार लगभग 13 लाख एकड़ से अधिक क्षेत्र में फसलों को नुकसान हुआ हैं। सैकडों मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं तथा अनेकों पशुओं की मौत हुई है। ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर लगभग 2 अगस्त तक प्रदेशभर से 67,735 किसानों ने आवेदन किए हैं जिन्होंने 3.72 लाख एकड़ से अधिक के लिए मुआवजे की मांग की है। सरकार ने भरपाई के लिए ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल तो खोल दिया परंतु किसानों को हुए नुकसान की भरपाई की समय सीमा निर्धारित नहीं की हैं। प्रदेश सरकार इतनी बड़ी तबाही की जिम्मेवारी से बच नहीं सकती क्योंकि सरकार ने बाढ़ से बचने के लिए समय पर कोई तैयारी नहीं की जिसके कारण प्रदेश के किसानों और आमजन को इतनी भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। इस गम्भीर स्थिति को लेकर प्रदेश के किसानों व आमजन में सरकार के प्रति गहरा रोष व्याप्त है। अतः सरकार इस सदन में अपना वक्तव्य दे।

स्थगन प्रस्ताव संख्या 2 ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 25 में परिवर्तित
ध्यानाकर्षण सूचना स्वीकृत संख्या 20 के साथ सलग्न

स्थगन/काम रोको प्रस्ताव संख्या 2 के द्वारा श्री ईश्वर सिंह विधायक श्री जगदीश नायर , विधायक, श्री लक्ष्मण नापा, विधायक, श्री शिशपाल सिंह, विधायक, श्री शमशेर सिंह गोगी, विधायक ने बाढ़ के कारण प्रदेश में उत्पन्न हालातों के बारे इस महान सदन का ध्यान एक अति लोक हित के विषय की ओर दिलाना चाहते है कि हरियाणा प्रदेश में हाल ही में बाढ से उत्पन्न हालातों की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि किस प्रकार बाढ़ के कारण हरियाणा प्रदेश के कई हल्का में असमान्य हालात हो गए है। जन जीवन अस्त -व्यस्त हो गया है। फसल, मकान, पशुधन, जान माल का व्यापक तोर पर नुकसान हुआ है। जिसकी तुरन्त क्षतिपूर्ति के साथ-साथ इस बाढ के कारण क्षतिग्रस्त हुई घग्गर नदी के दुरस्तीकरण पर सरकार द्वारा आवश्य कदम उठाए जाना अति अनिवार्य हो गया है। हरियाणा में घग्गर नदी हर साल उफान में आती है और फट जाती है। यह एक प्राकृतिक आपदा है। परन्तु केवल इस शब्द से निवारण नहीं हो सकता। करोड़ों रूपए हर साल हरियाणा सरकार का केवल घग्गर नदी की रोकथाम व इसके द्वारा नुकसान की भरपाई पर खर्च किया जाता है। परन्तु अभी तक भी इसका कोई स्थाई समाधान नहीं कर पाए। इस वर्ष भी घग्गर की बाढ ने तबाही माचाई , जान-माल का नुकसान हुआ। अनेकों घर पानी की चपेट में आ गए और बह गए। इस घग्गर नदी में पंचकूला के नजदीक झाजरा नदी व कोशल्या नदी आकर मिलती है फिर यह जिरकपुर डेराबसी से होते हुए अम्बाला में प्रवेश करती है। उसके बाद पटियाला की तरफ से मेरे हल्का के गांव सिहाली में आती है , मेरे हल्के के ही गांव मैगड़ा, डण्डोता के नजदीक इसकी सहायक नदिया मारकण्डा व टांगरी नदी इसमें मिल जाती है। गुहला क्षेत्र के ही गांव सरौला में मीरापुर डैªन इसमें शामिल हो जाती है। इसके बाद हरियाणा पंजाब बार्डर पर बसे हुए गांव रतनहेडी के पास पिछे से आ रही पटियाला नदी भी इसमे मिल जाती है। उसके उपरान्त यह हल्का गुहला के ही गांव उरलाना से होते हुए पंजाब की तरफ मुड जाती है और आगे जाते हुए हरियाणा के अन्य हल्कों की तरफ प्रवाहित हो जाती है। इस नदी के शुरू होने से और मेरे हल्का में प्रवेश होने तक अनेकों सहायक नदियां , खाले-नाले डैªन इसमें समाहित हो जाते है। जिस कारण सारे पानी का केन्द्र हल्का गुहला बन जाता है और यही

घग्गर की मार शुरू होती है। घग्गर नदी के उफान से गुहला चीका , रतिया फतेहाबाद, कालावली टोहाना, रानियंा, ऐलनाबाद इत्यादि हल्के प्रभावित होते है।

क- जी साईफिन हमारे इलाके में बनाए गए हैं , घग्गर नदी के खतरे के निशान से उपर आने का मुख्य कारण यही साईफिन है। क्योंकि यह साईफिन बहुत ही संकीर्ण, बिना किसी तकनीक और बिना किसी प्रयोग के बनाए गए है, इसके द्वारा पानी की निकासी पूरी तरह से एकदम नहीं हो सकती इसलिए इस साइंफिन का कुछ पिलर्स निकालकर इसको चैड़ा किया जाए।

ख- इस घरगर नदी को और अधिक गहरा किया जाए। ताकि भविष्य में बाढ की स्थिति से बचा जा सके।

ग- हर साल जहां से बांध टूटते हैं, उनके स्थाई रूप से पत्थर लगाकर बंद किया जाए। यह पानी पहाड़ो से होते हुए पंचकूला जिरकपूर , डेराबस्सी, मोहाली, राजपुरा, पटियाला से होते हुए गुहला चीका बार्डर पर इकठ्ठा हो जाता है और इसमें कई नदी, नाले, खाले, ड्रेन इसमें मिल जाते हैं। पानी के बहाव के कारण हर साल जहां से बांध टूटते हैं उनको स्थाई रूप से पत्थर लगाकर बन्द किया जाए। इसका स्थाई समाधान किया जाए और तुरंत प्रभाव से क्षतिग्रस्त इलाके के लागों को फसल , मकान, पशुधन व जान-माल का मुआवजा सरकार दंे।

Adjournment Motion No. 4 converted into Calling Attention Notice No. 27 Clubbed with admitted Calling Attention Notice No. 20

Shri. Indu Raj, MLA, Shri. Shishpal Singh, MLA, Shri. Jagbir Singh Malik, MLA Shri. Jaiveer Singh, MLA, Sh. Pardeep Chaudhary, MLA. ,Smt. Renu Bala, MLA, Smt. Geeta Bhukkal, MLA want to draw the attention of this august House towards a matter of an urgent Public importance that the recent heavy rains have left a trail of death and destruction in Haryana, with about 2.06 lakh hectares of agricultural land in 1465 villages having been submerged and many persons lost their lives. While the rain fury affected 12 districts – Panchkula, Ambala, Yamunanagar, Karnal, Kaithal, Kurukshetra, Panipat, Rohtak, Jhajjar, Fatehabad, Faridabad, Sonipat and Palwal – north Haryana was the worst – hit. It is alleged that the laxity of the Government to desilting rivers and drains had resulted in huge losses caused by the floods in the State. The huge impact of floods could have been minimized had the state Government undertaken the cleaning of riverbeds, drains and strengthened embankments and bunds before the monsoon season. The scrapping of major canal projects and rampant illegal mining in the State's rivers were the primary reasons for the recent floods in Haryana. The scrapping of Tajewala Raipur Rani and Dadupur Nalvi canal projects had let to large scale damaged to life and property in recent floods in three districts of the Shivalik region - Panchuka, Ambala and Yamunanagar. If the present Government had gone ahead with the construction of these canal projects the damage caused by the flood water could have been minimized as the rainwater could have been channelized properly. The rampant illegal mining in the State rivers including the Yamuna, the Ghaggar and Tangri let to the change in the course of these rivers, creating havoc in agricultural lands and residential areas. Illegal mining is being carried out under the protection of the Government. The agriculture has been completely ruined due to the floods and farmers and farm workers have been badly affected by the water logging and everyone now needs help from Government. They demand the Government to give compensation of Rs. 40,000/- per acre to the farmers who suffered crop damage. Due to water

logging, the water motor and pump-set installed in the fields have also been damaged. There is huge shortage of animal fodder since the floods and demanded to the Government to arrange for fodder. Along with this, compensation for the loss caused to houses, shops and business should also be done with immediate effect. The poor mainly labourers were particularly afflicted by the floods. The agriculture labourers of the village could not even get work this time. The Government should pay at least 30 days additional daily wages to MGNREGA workers. Along with giving relief to the public, the Government will have to work on a war-footing for draining out rainwater The State Government should demand a relief package from the Centre like the Congress Government of Himachal Pradesh. Due to water logging, there is an outbreak of diseases in flood affected areas, but the Government has not made any plans to prevent these. The BJP-JJP Government is deliberately delaying the compensation to the floods-affected residents. Once again the Government is shirking it s responsibility by citing the portal. People have already suffered a lot and they need help not portals. It is an urgent matter of public importance and we request the Hon'ble Speaker to allow a discussion in public interest.

श्री दुष्यंत चौटाला, उपमुख्यमंत्री का वक्तव्य

महोदय, हरियाणा सरकार किसानों के हितों की रक्षा हेतु अपनी जिम्मेदारी के प्रति सजग है इसलिए उनके सामने आने वाले सभी जोखिमों के शमन के लिए अग्रिम कदम उठाये जाते है। जब भी कोई प्राकृतिक आपदा या कोई अन्य आपदा आती है, तो सरकार घटनाओं का सामना करने में तुरंत उनकी सहायता करती है और नीति के अनुसार सक्रिय रूप से उन्हें मुआवजा भी देती है।

यह एक तथ्य है कि लगातार तीन दिनों (08, 09 तथा 10 जुलाई) तक हरियाणा के अधिकांश हिस्सों के साथ-साथ पड़ोसी राज्यों में भी भारी से अत्यधिक भारी वर्षा हुई। परिणामस्वरूप हरियाणा में बाढ़ ने सामान्य जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया और दुर्भाग्यवश जान-माल व जानवरों की हानि तथा संपत्तियों और बुनियादी ढांचे की व्यापक क्षति हुई। 8 से 12 जुलाई के दौरान, राज्य की संचयी वर्षा 110 मिमी थी, जोकि सामान्य 28.4 मिमी की वर्षा के मुकाबले 287% अधिक है। यमुनानगर, कुरूक्षेत्र, पंचकुला और अंबाला में क्रमशः 842%, 814%, 699% और 514% अधिक वर्षा हुई। हरियाणा के इतिहास में पहली बार, सरकार ने राज्य के 12 जिलों के 1469 गांवों और 4 एमसी क्षेत्रों को बाढ़ प्रभावित घोषित किया है।

सरकार ने यथासमय बाढ़ की रोकथाम और इसके प्रभाव को कम करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए। इसी दिशा में 7,868 लोगों को बाढ़ क्षेत्रो से निकाला गया व 2,031 लोगों को 60 राहत शिविरों में स्थानांतरित किया गया।

प्रभावित इलाकों में नागरिकों के लिए भोजन और अन्य नागरिक आपूर्ति की व्यवस्था की गई। जिला प्रशासन ने थल सेना, वायु सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सिविल सोसाइटी संगठनों और गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से खोज, बचाव और राहत कार्यों का संचालन किया। बाढ़ के प्रभाव को कम करने के लिए चल रहे प्रयासों की समीक्षा और समन्वय करने के लिए दिनांक 11.07.2023 को प्रशासनिक सचिव स्तर के सात वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को बाढ़ प्रभावित जिलों के प्रभारी के रूप में नियुक्त किया गया।

राज्य सरकार द्वारा प्रभावित व्यक्तियों और परिवारों के लिए उनके घर, पशुधन, फसलों और वाणिज्यिक संपत्ति के संबंध में क्षति/नुकसान के लिए दावे प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को आसान बनाने, क्षति के

सत्यापन और समयबद्ध तरीके से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से मुआवजे के वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक समर्पित पोर्टल https://eskhatipurti.haryana.gov.in/ लॉन्च किया गया। यह पोर्टल 25 अगस्त 2023 तक खुला है। हरियाणा सरकार के मानदंडों/निर्देशों के अनुसार चल रही सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने पर मुआवजे का वितरण किया जाएगा।

दिनांक 22.08.2023 तक, राज्य के 4,475 गांवों के 1,35,541 किसानों द्वारा ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर कुल 6,61,644 एकड़ फसल हानि क्षेत्र दर्ज किया गया है। बाढ़ से 47 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है । पोर्टल में पशु हानि, वाणिज्यिक इकाइयों की क्षति के क्रमशः 333 व 109 दावे दर्ज हुए है । इसके अतिरिक्त 5,380 घरों के क्षतिग्रस्त होने के दावे भी दर्ज हुए है ।

40 शोक संतप्त परिवारों को 1,60,00,00/- (एक करोड़ साठ लाख रुपये मात्र) (प्रति मृतक 4.00 लाख रुपये) की रुपये की राशि स्वीकृत की गई है और 34 परिवारों को 1,36,00,000/- रुपये वितरित किये जा चुके हैं । बचाव कार्यों के लिए 10 जिलों को 10,01,63,792/- रुपये की राशि जारी की गईं । बहाली कार्यों और मुआवजे के वितरण में तेजी लाने के लिए , वित्तीय आयुक्त की वित्तीय शक्तियां अभूतपूर्व तरीके से प्रशासनिक सचिवों और उपायुक्तों को सौंप दी गईं।

ऊर्जा विभाग ने ग्राम पंचायतों और सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग को जल निकासी के लिए 24 घंटे बिजली तथा उनकी अल्पकालिक आवश्यकताओं के लिए तत्काल बिजली कनेक्शन की व्यवस्था भी करी । डिस्कॉम ने आवश्यक्तानुसार बिना किसी शुल्क के अस्थायी कनेक्शन प्रदान किए।

पशुपालन विभाग ने पशु स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए प्रत्येक जिले में विशेष टीमों का गठन किया। मई-जून 2023 में, गायों और भैंसों में खुरपका-मुंहपका रोग और रक्तस्रावी सेप्टिसीमिया जैसी बीमारियों की रोकथाम के लिए टीकाकरण किया गया। इसके अतिरिक्त, संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए अन्य जानवरों में भी टीकाकरण किया गया । पशु चिकित्सा संस्थानों में आवश्यक दवाओं एवं टीकों का भण्डारण करने के निर्देश दिये गये। 15 जुलाई 2023 को विभाग द्वारा अनुपूरक दिशा-निर्देश भी जारी किये गये , जिसके तहत बाढ़ के दौरान पशुधन की सुरक्षा एवं प्रबंधन के संबंध में भारत सरकार द्वारा एडवाइजरी जारी की गई । इसमें किसानों व पशुपालकों की आसानी से समझ आने वाली भाषा में बाढ़ से पहले, बाढ़ के दौरान और बाढ़ के बाद पशुओं के स्वास्थ्य और प्रबंधन के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये गए। बाढ़ के दौरान अधिकारियों/कर्मचारियों की छुट्टियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, केवल आवश्यक मामलों में ही अधिकतम 4 दिनों की छुट्टी दी गई थी। पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था स्थानीय प्रशासन/राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा हैफेड के माध्यम से की गई तथा पशुपालन विभाग द्वारा इसके वितरण में सहायता प्रदान की गई। मवेशियों को गांठदार त्वचा रोग से बचाने के लिए राज्य में 21 अगस्त, 2023 से सामूहिक टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है , जिसमें लगभग। 19 लाख मवेशियों का टीकाकरण किया जाएगा।

विकास एवं पंचायत विभाग ने अपने द्वारा प्रबंधित ग्रामीण बुनियादी ढांचे को नुकसान के कारण लगभग 44.30 करोड़ रुपये के नुकसान का अनुमान लगाया हैं ।

शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने हाल ही में बाढ़ से पहले राज्य में विभिन्न नालों और नदियों के 1,068.62 किलोमीटर क्षेत्र से गाद निकालने का काम किया। शहरी स्थानीय निकाय विभाग अपनी नीति के अनुसार, उन प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजा भी दे रहा है जिनकी वाणिज्यिक और औद्योगिक संपत्ति राज्य के

शहरी क्षेत्रों में हाल ही में आई बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हो गई है। नीति में चल संपत्तियों के मुआवजे के लिए 50 लाख तक और व्यावसायिक भवनों के नुकसान की भरपाई के लिए 25 लाख रुपये तक का प्रावधान है।

माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 24.01.2022 को आयोजित एचएसडीआरएफसीबी की 53वीं बैठक में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग ने 466.03 करोड़ रुपये की लागत से 323 योजनाओं का अनुमोदन किया, इसके अलावा 231.87 करोड़ रुपये की लागत से 168 योजनाएं को आगे बढ़ाया गया। उपरोक्त सभी 491 योजनाएं पिछले वर्ष शुरू की गईं और उनमें से 279 पूरी हो चुकी हैं। दिनांक 19.01.2023 को आयोजित एचएसडीआरएफसीबी की 54वीं बैठक में 929.86 करोड़ रुपये की लागत से 594 योजनाओं का अनुमोदन किया, जिनमें से अब तक 191.49 करोड़ रुपये की 88 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं।

सिंचाई और जल संसाधन विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न जल निकासी और बाढ़ नियंत्रण योजनाओं की तकनीकी जांच के लिए सभी ईआईसी की संयुक्त अध्यक्षता में बाढ़ पर एक विभागीय तकनीकी समिति (डीटीसी) गठित करने का प्रस्ताव तैयार कर रहा है ताकि राज्य में बाढ़ और जल निकासी की समग्र समस्याओं के बारे में स्पष्ट समझ हो सके।

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग ने राज्य में बाढ़ को रोकने के लिए एहतियाती उपाय के रूप में मानसून की शुरुआत से पहले राज्य में 853 नालों में से 657 नालों की सफाई का काम शुरू किया।

घग्गर नदी में बाढ़ का मुद्दा पिछले तीन दशकों से सक्रिय चर्चा में रहा है। घग्गर स्थायी समिति (जीएससी) का गठन 26.02.1990 मे किया गया, जिसमे सदस्य (आरएम, सीडब्ल्यूसी) को समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। जीएससी ने संवेदनशील स्थानों का दौरा करने के बाद घग्गर बेसिन में बाढ़ की समस्या को कम करने के लिए उपचारात्मक उपाय सुझाने के लिए सह-बेसिन राज्यों और सीडब्ल्यूसी के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए विशेषज्ञों की एक टीम का गठन किया। विशेषज्ञ समिति ने दोनों तटों पर तटबंधों का प्रावधान, क्रॉस-ड्रेनेज कार्यों की रीमॉडलिंग, बांधों/जलाशयों के निर्माण की संभावना आदि जैसे विभिन्न विकल्पों का सुझाव दिया। हालांकि, जीएससी की 28वीं बैठक के दौरान, घग्गर नदी में बाढ़ के प्रबंधन के लिए संपूर्ण बेसिन का अध्ययन गणितीय मॉडल से आयोजित करने का निर्णय लिया गया और अध्ययन का कार्य सीडब्ल्यूपीआरएस, पुणे को सौंपने का निर्णय लिया गया।

सीडब्ल्यूपीआरएस पुणे ने गणितीय मॉडल अध्ययन पर अपनी अंतिम रिपोर्ट दी है जिसमें घग्गर नदी में बाढ़ शमन के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपायों की सिफारिश की गई थी। अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

(क) अल्पावधि – घग्गर नदी के मौजूदा तल को चौड़ा करना और गहरा करना और तटबंधों का निर्माण।

(ख) दीर्घकालिक- अपस्ट्रीम कैचमेंट/प्रमुख सहायक नदियों में भंडारण सह बाढ़ नियंत्रण जलाशयों का निर्माण हो ताकि डाउनस्ट्रीम क्षेत्र को बाढ़ से बचाया जा सके। मौजूदा जलमार्ग में बिना कोई बदलाव किए सड़क स्लैब को ऊपर उठाना।

तदनुसार, 94.07 करोड़ रुपये की एक डीपीआर 14.07.2023 को सीडब्ल्यूसी को सौंपी गई थी, जिस पर सीडब्ल्यूसी द्वारा टिप्पणियां की गई थीं, जिसका उत्तर पत्र संख्या 6134-40/972/98-XII/4BWS दिनांक 14.08.2023 के माध्यम से दिया गया है। डीपीआर सीडब्ल्यूसी के साथ परीक्षण/अनुमोदन पर विचाराधीन है।

सीडब्ल्यूसी द्वारा हरियाणा डीपीआर को अंतिम रूप देने/अनुमोदन के बाद, घग्गर नदी के बाढ़ को शमन करने के लिए समयबद्ध कार्रवाई की जाएगी।

साइफन की क्षमता के मामले के संबंध में यह सूचित किया जाता है कि बाढ़ के पानी के सुचारू प्रवाह के लिए घग्गर में मौजूद 5 साइफन पर्याप्त क्षमता के हैं और सीडब्ल्यूपीआरएस की एमएमएस रिपोर्ट में यह भी परिकल्पना की गई है कि संरचनाओं के जलमार्ग में किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि , जुलाई, 2023 के दौरान आई अभूतपूर्व बाढ़ के मद्देनजर साइफन की क्षमता की समीक्षा की जाएगी। चूंकि अंतरराज्यीय मुद्दे शामिल हैं, इसलिए व्यवहार्यता के अनुसार, क्षमता में संशोधन का मामला मंजूरी/ निर्णय के लिए जीएससी के समक्ष रखा जाएगा।

नदी के अंदर कोई अवैध खनन नहीं हो रहा है और इसे सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से निरीक्षण किया जा रहा है। चूंकि 2010 की बाढ़ के बाद यमुना नदी का तल स्तर काफी कम हो गया है, इसलिए तल से गाद निकालने/सफाई का कोई काम करने की आवश्यकता नहीं थी। सरकार द्वारा यमुनानगर , अंबाला, पंचकुला, करनाल, सिरसा, कुरूक्षेत्र और पानीपत जिलों में विभिन्न नदियों में 74 स्थल बिंदुओं की पहचान की गई है जहां खनन की तत्काल आवश्यकता है जिसके कारण पानी का मुक्त प्रवाह बाधित हो रहा है।

पुलियों का निर्माण न होने के कारण जल निकासी की समस्या के संबंध में, विभाग ने विभिन्न जिलों में लगभग 149 संवेदनशील बिंदुओं की पहचान की है , जहां एनएचएआई , पीडब्ल्यूडी (बी एंड आर) , एचएसएएमबी आदि द्वारा पुलियों का प्रावधान न करने के कारण जल निकासी की समस्या है। विभाग ने संबंधित एजेंसियों को वांछित समाधान प्राप्त करने के रोड मैप तैयार करने के लिए, सिंचाई और जल संसाधन विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से दौरा करने के लिए दिशा-निर्देश दिए गए है।